भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 689

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निधि

689. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जल विद्युत परियोजनाओं और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की घोषणा करने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल राज्य ने उच्चतम मांग के प्रबंधन के लिए 3000 मेगावाट से 5000 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता की भी मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त राज्य में विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की है;
और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केरल सरकार ने दिनांक 22.12.2024 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से क्रमशः 1,700 मेगावाट और 3,300 मेगावाट क्षमता वाली एचईपी और पीएसपी के लिए न्यूनतम 40% व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए अनुरोध किया है।

यदि केरल सरकार कोई विशिष्ट एचईपी/पीएसपी परियोजना लेकर आती है, तो केंद्र सरकार मौजूदा स्कीम के तहत अवसंरचना निर्माण के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है।

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने दिनांक 22.12.2024 के पत्र के माध्यम से उच्चतम मांग के प्रबंधन के लिए 3,000 मेगावाट से 5,000 मेगावाट तक की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के एक अन्य पत्र के माध्यम से केरल सरकार ने 270 मेगावाट घंटा/540 मेगावाट घंटा क्षमता वाली बीईएसएस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी। उत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने केरल को 500 मेगावाट घंटा की बीईएसएस क्षमता आबंटित की है, जिसमें बीईएसएस के विकास के लिए वीजीएफ स्कीम के तहत 27 लाख रुपये/मेगावाट घंटा या पूंजीगत लागत का 30%, जो भी कम हो, का वीजीएफ समर्थन है।

(घ) और (ङ) : वर्तमान में, केरल में दो जलविद्युत परियोजनाएँ, यथा- पल्लीवासल (60 मेगावाट) और मनकुलम (40 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं, जिनकी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, इडुक्की विस्तार स्कीम (800 मेगावाट) नामक एक परियोजना सर्वेक्षण और जांच चरण में है, इसकी भी सीईए द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

****